

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला बैतूल,

क्रमांक 14 अ-82 / 17-18 / भू-अर्जन / 12753 बैतूल दिनांक 16/3-2018
प्रति, 20

संचालक,
जन सम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह,
भोपाल ।

विषय :- सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत खोदरी लघु जलाशय हेतु मौजा खोदरी- तहसील आठनेर की अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।
अतएव उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का दो स्थानीय समाचार पत्रों, में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्र0 14अ-82 / 17-18 भू-अर्जन / 12753 बैतूल दिनांक 16/3-2018
प्रतिलिपि:- 20

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित, ग्राम पंचायत में भी प्रकाशन कराया जाकर रिपोर्ट संलग्न करें।
- 4- तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा कराई जाकर वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर, 16/3
बैतूल

प्ररूप "ख"
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

26/02/2018

- परियोजना का नाम रकोदरी स्टोरेज लक्षु सिंचाई योजना
 लोक प्रयोजन सिंचाई कार्य
 स्थल रकोदरी
 परियोजना का क्षेत्र रकोदरी
 विकल्प जिन पर विचार किया गया रकोदरी
 परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता जी हां सिंचाई बकला खदाने एक प्रेसिडेंट ऑफ
 की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित कार्यपालन मंत्री जल संसाधन संग्राम
 परियोजना निर्माण के चरण मुक्तवाक
 परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे प्रश्न - 201
 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि 8.514 हेक्टर
 भूमि का मूल्य किंचित प्रति हे० ६.०० लाख
 11- प्रभावित परिवारों की संख्या असिंचित प्रति हे० 3.00 लाख
 12- परिसम्पतियां:-
 लोक सम्पति भूमि १:५.६६ भवन अन्य
 निजी सम्पति भूमि ७:०.५८ भवन अन्य
 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
 ग्राम रकोदरी परिवारों की संख्या जि० ३६
 14- सामाजिक समाघात
 (क) समाघातों का विवरण निरक्षरों में उल्लेखित है।
 (ख) समाघातों की संकेतक सूची निरक्षरों में उल्लेखित है।
 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
 (क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? जब उपरोक्त एक काम गलत
 (ख) यदि नहीं - तो क्यों? पर इतिहास का उद्देश्य है
 निष्कर्ष - निरक्षर

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

प्ररूप "ख"

[Signature]
3/2/18

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन अनुविभाग
अठखेरा

[Signature]

[Signature]
S.D.O(R)
(BHENSDEHI)

[Signature]
उपवन मन्त्रालय
मुम्बई (म.)